वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 95वीं बैठक दिनांक 21 मार्च 2018 मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की कई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों द्वारा भाग लिया गयाः–

1. प्रो0 अशोक शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

2. श्रीमती चित्रा गुप्ता — सदस्य
   अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर।
   (प्रति0 वित्त विभाग, राज0 सरकार, जयपुर)

3. प्रो0 एच0 बी0 नंदवाना — सदस्य
   आचार्य,
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

4. प्रो0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवा
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

5. डा0 श्रीमती रश्मि बोहरा — सदस्य
   निदेशक,
   क्षेत्रीय केन्द्र
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,उदयपुर।

6. श्री मुरलीधर प्रतिहार — सचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

7. प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर — विशेष आमंत्रित
   निदेशक, संकाय
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

8. श्री टी0पी0 मीना — विशेष आमंत्रित
   नियंत्रक
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चिता होने के उपरांत बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यगणों का स्वागत करते हुए पूर्व सदस्यगणों प्रो0 दामोदर शर्मा, डा0 एम0 एल0 साहू एवं प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर एवं डा0 जे0 के0 शर्मा का कार्यकाल पूर्ण होने की सूचना से सदन को अवगत करवाते हुए उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवीन सदस्यगणों द्वारा अपना परिचय करवाए जाने के बाद माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि पिछले तीन वर्षो से विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय के समस्त कार्य ऑन–लाईन हो रहे हैं और यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी से न होकर विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्मित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के माध्यम से हो रहा है। समस्त उपस्थित सदस्यों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया।

साथ ही यह भी अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही नेशनल एकेडेमिक डिपोजटरी योजना से जुड़ने हेतु एक एम.ओ.यू. करने जा रहा है जिससे विद्यार्थियों की अंकतालिकाएं, डिग्रीयां आदि के सत्यापन का कार्य ऑन लाईन हो जायेगा, जो विद्यार्थियों एवं संबंधित संस्थाओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक होगा। उक्त जानकारी के उपरांत बैठक विधिवत रूप से प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

95/01 प्रबंध मंडल की 94वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राप्त टिप्पणीयों पर विस्तृत रूप से बिंदुवार स्थिति स्पष्ट की गई:–

- प्रो0 शर्मा द्वारा बैठक में निर्णय करते समय किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी यदि उन्हें किसी बिन्दु पर आपत्ति थी तो बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए थी।

- प्रो0 शर्मा द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कि उन्हें 93वीं बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण इसका अनुमोदन किया जाना संभव नहीं हे के सम्बन्ध में सदन को उन्हें भेजे गए ई0मेल0 की प्रति अवलोकन करवाई गई, एवं सदन को यह भी अवगत करवाया कि 93वी बैठक का कार्यवाही विवरण 94वीं बैठक के एजेंडा के साथ भी लगाया गया था जो कि उन्हें बैठक से सात–आठ दिवस पूर्व पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया था।
- माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को यह भी अवगत करवाया गया कि प्रो0 शर्मा को विश्वविद्यालय नियमों एवं अधिनियमों की प्रति भी विशेष वाहक द्वारा उनके द्वारा मांगे जाने के तत्काल बाद दूसरे दिन ही भिजवा दी गई थी।

उक्त जानकारी के उपरांत सदन द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को अप्रासांगिक मानते हुए कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न 94वी बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किए जाने का निर्णय किया गया।

95/02 प्रबंध मंडल की 94वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का पालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल में लिए गये निर्णय संख्या 94/11 के तहत बनाई गई समिति की रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई , समिति की अनुशंषा के अनुसार पूर्व में स्थापित वोकेशनल एजुकेशन सेंटर एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर को उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र में merge(एकजाई) कर देने की जानकारी से अवगत कराए जाने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

95/03 विद्या परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 03 मई 2017(आपात) एवं 57वीं बैठक दिनांक 02जनवरी 2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 56वीं एवं 57वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

95/04 वित्त समिति की 56वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी 2018 के कार्यवाही विवरण एवं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्तिय वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित बजट अनुमान एवं आगामी वित्तिय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधानों का अनुमोदन।

नियंत्रक, वित्त ने सदन को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान एवं चालू वित्तिय वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2015–16एवं 2016–17 की आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई। सदन द्वारा 56वीं वित्त समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 56.10.01 विशेष जांच प्रतिवेदन के चार आक्षेपों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय किया कि मूल आक्षेप एवं विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
इसके उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा वित्त समिति की 56वीं बैठक के कार्यवाही विवरण, आगामी वित्तिय वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्तावों, वित्तिय वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट अनुमानों , वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की सी0ए0 आडिट रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

95/05 वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदनार्थ।

कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

95/06 वर्ष 2010 में सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग से सम्बन्धित ए0सी0बी0 में दर्ज प्रकरण संख्या 140/10 में विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व सदन को जांच अधिकारी की नियुक्ति एवं जांच कार्य की पृष्ठभूमी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान किए जाने के बाद जांच अधिकारी श्री के0एल0 माथुर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत दोनों जांच रिपोर्टो को सदन के पटल पर खोलकर पूर्ण जांच रिपोर्ट को सदन के समक्ष पढा गया । माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को यह भी कहा गया कि यदि कोई सदस्यगण जांच रिपोर्ट की प्रति स्वंय के रिकार्ड के लिए रखना चाहे तो प्रति तत्काल उपलब्ध करवाई जा सकती है, किसी सदस्य द्वारा जांच रिपार्ट की प्रति की मांग नहीं किए जाने के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दोनो जांच रिपोर्टो पर अलग अलग विस्तृत चर्चा होने के उपरांत जांच प्रतिवेदनों को स्वीकार करते हुए जांच प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

95/07 निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर चयन हेतु योग्यता निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषाऐं अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

समिति की अनुशंषओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय में निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सह आचार्य के पद हेतु निर्धारित योग्यता ही रखी जाए साथ ही यह भी निर्णय किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सह आचार्य के पद की योग्यता में समय–समय पर किए जाने वाले परिर्वतन भी निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के पद हेतु स्वतः लागू माने जाएंगे।

95/08 निदेशकों के पदों पर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ।

निदेशकों के पद की कार्यवाहक व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि वर्तमान व्यवस्था के साथ ही आवश्यकतानुसार सहायक आचार्य स्तर तक के शिक्षक को भी निदेशक के पद का कार्यभार सौपा जा सकता है।

95/09 परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यवाहक व्यवस्था के तहत कार्यभार दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ।

परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यवाहक व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक के निर्णय से पूर्व की स्थिति जिसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/शिक्षक/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकारी कालेज के शिक्षक को कार्यवाहक व्यवस्था के तहत कार्यभार सौंपे जाने की व्यवस्था थी, को ही पुनः कायम किया जाए ।

95/10 राज्य सरकार से कनि0 अभियंता (इलेक्ट्रीकल) एवं सहायक संख्यिकी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति के पद का सृजन करवाने का प्रस्ताव।

कनि0 अभियंता (इलेक्ट्रीकल) एवं सहायक संख्यिकी अधिकारी का पद राज्य सरकार द्वारा भरे जाने हेतु कनि0 अभियंता (इलेक्ट्रीकल) एवं सहायक संख्यिकी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति के पद सृजित करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि पद सृजित करवाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए एवं स्वीकृति उपरांत इन पदों पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही की जाए।

95/11 वित्त समिति में सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में प्रो0 बी0 अरूण कुमार एवं बाह्य सदस्य के रूप में श्री अरविंद गोयल को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने का निर्णय किया गया।

95/12(1) विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लेकर उसमें विकास कार्य संपादित करवाने के क्रम में।

गावं गोद लिए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन को जानकारी से अवगत करवाए जाने के बाद गांव गोद लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए गांव के चयन के निर्णय माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

95/12(2) आर.एस.बी.सी.सी. के माध्यम से करवाए गए भवनों के निमार्ण कार्यो के पेटे भुगतान में हुए विवाद को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से आर्बिटेटर नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव।

आर.एस.बी.सी. के माध्यम से करवाए गए निमार्ण कार्यो के पेटे भुगतान में हुए विवाद को सुलझाने के लिए आर्बिटेटर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त विभाग की प्रतिनिधी श्रीमती चित्रा गुप्ता का सुझाव था कि आर्बिटेटर के कार्य के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय अथवा एम0एन0आई0टी0 जयपुर जैसे उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को विश्वविद्यालय की ओर से आर्बिटेटर बनाए जाने के प्रयास करने चाहिए, उक्त सुझाव को स्वीकार करते हुए यह निर्णय किया गया कि यदि कोई शिक्षक इस कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो तो मुख्य अभियंता स्तर अथवा समकक्ष स्तर के सेवा निवृत्त अधिकारी को आर्बिटेटर नियुक्त करने के हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

95/12(3) मृत राज्य कर्मचारी नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने सम्बन्धी नियमों में समय सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

समिति की अनुशंषाओं का अवलोकन करते हुए श्री उमंग गुप्ता पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने की समय सीमा सम्बन्धी नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

95/12(4) कार्मिकों के वेतन नियतन के समबन्ध में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई विशेष जांच प्रतिवेदन की पालना में की गई कार्यवाही के अनुमोदन का प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण में सदन को विस्तृत जानकारी से अवगत करवाए जाने के उपरांत पूर्व में किए गए वेतन स्थिरीकरण आदेशों को प्रत्याहारित करने सम्बन्धी जारी किए गए पांच आदेश क्रमांक 3299, 3308, 3318, 3328 एवं 3338 दिनांक 20 मार्च 2018 की पुष्टि करते हुए अधिक वेतन की रिकवरी के सम्बन्ध में नियमान्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)